प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए R.T.A. 1955 प्रकरण संख्या सीजीएमएस 2025/93

अनवान घेवाराम बनाम तहसीलदार रानी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नवर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई।
17/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील श्री राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित एवं प्रशांत सिंह राजपुरोहित उपस्थित, अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित, उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी की प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का ईटन्दरा चारणान के ख.नं. 19/785 रकबा 2.42 हे. किस्म बारानी अव्वल भूमि स्थित है। इसी प्रकार ख.नं. 18/766 रकबा 0.93 हे. किस्म बारानी अव्वल भूमि भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 18/766 जो की ख.नं. 13 किस्म गै.मु.रास्ता से लगती हुई है। उक्त प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 18/766 एवं ख.नं. 19/785 के बीच में ख.नं. 18/768 रकबा 1.11 हे. किस्म बारानी अव्वल भूमि राजकीय सिवायक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, प्रार्थी की खातेदारी भूमि 19/785 में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रिकॉर्डेड रास्ता नही है, जिससे प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिये खसरा नम्बर 18/768 राजकीय सिवायचक भूमि में से खसरा नम्बर 19/785 तक पंहुच मार्ग धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार दिलाने जाने की दलील दी। वकील प्रार्थी ने बहस में आगे दलील दी की प्रार्थी को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है, तथा खातेदारी भूमि तक पंहुचने का कोई विकल्प नही है। उपस्थित पैरोकार सरकार ने बहस में वकील प्रार्थी की दलीलों का ऐसा कोई खण्डन पेश नही किया जो प्रमाणित करे की प्रार्थी को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता नही हो। तथा अन्य रूट से उक्त प्रस्तावित रास्ते से निकटतम दूरी का रास्ता हो। तहसीलदार रानी के कार्यालय पत्रांक राजस्व/25/844 दिनांक 22.8.2025 से प्रस्तावित रिपोर्ट के संलग्न मौका रिपोर्ट में वर्णित रूट से नया रास्ता 58 मीटर गुणा 9 मीटर कुल 0.0522 हे. भूमि रास्ता हेतु स्वीकृत किये जाने की दलील दी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भगवानपुरा के ख.नं. 19/785 में आने जाने के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। आवेदन पर भू अभिलेख निरीक्षक रानी एवं पटवारी हल्का ईटन्दरा चारणाना ने मौका जांच कर तहसीलदार रानी ने अपने पत्रांक राजस्व/25/844 दिनांक 22.8.25 प्रस्तुत की है। तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार निमार्ण या अतिक्रमण नही है। चुंकि ख.नं. 19/785 एवं 18/766 दोनों खातेदारी भूमि आवेदक की है, अतः रास्ता मार्क एबीसीडी खसरा नम्बर 18/768 सिवायचक भूमि में 58 मीटर गुणा 9 मीटर चौडाई कुल 0.0522 अर्थात 522 वर्गमीटर रास्ता प्रस्तावित किया था, तथा अवगत करवाया की उक्त रास्ता सिवायचक भूमि में से चाहिए, जिसे सरकारी खाता संख्या 01 में ही रखी जावे, एवं स्वामीत्व राज्य सरकार का ही रहेगा। इस संबंध में धारा 251ए के प्रावधानों अनुसार रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग के लिये नही, वैकल्पिक साधन का अभाव तथा लघुत्तम एवं निकटतम रूट से रास्ता दिया जाना प्राविधिक है। जिससे तहसीलदार रानी के कार्यालय पत्रांक राजस्व/25/844 दिनांक 22.8.2025 के संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भगवानपुरा के ख.नं. 18/768 में से 58 मीटर लम्बा एवं 9 मीटर चौडा नया रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम) संशोधित नियम 2012 एवं इस संबंध में जारी अधिसूचना संख्या 4.3(2)रेवे.6/03/भाग,7 दिनांक 02.03.2012 एवं राजस्थान	

13/09/2025
उपखण्ड अधिकारी, रानी
जिला-पाली

सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.6.2013 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार रानी के पत्रांक राजस्व/25/844 दिनांक 22.8.2025 के संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भगवानपुरा के ख.नं. 18/768 रकबा 1.11 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से 58 मीटर लम्बाई एवं 9 मीटर चौडाई में नया रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ता हेतु प्रभावित क्षैत्रफल 58X9=522 वर्गमीटर का नियम 70(1) (2) (ख) के अन्तर्गत देय प्रतिकर राशि डीएलसी दर की दुगुनी राशि वसूल कर अप्रार्थी राजस्थान सरकार को अदा करने के पश्चात रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि अदायगी के पश्चात उक्त रास्ता बतौर गै.मु.रास्ता सिवायचक के तौर पर अमल दरामद के साथ नक्शें में तरमीम की व्यवस्था तहसीलदार रानी सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति तहसीलदार रानी, भूअभिलेख निरीक्षक रानी, तहसील राजस्व लेखाकार तहसील रानी, को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

18/09/2025

उपखण्ड अधिकारी,रानी
जिला–पाली

कार्यालय सहायक कलक्टर रानी
क्रमांक/कोर्ट/25/235 दिनांक 18/09/25

1. तहसीलदार रानी को राजस्व विविध संख्या 93/25 मनवान देवाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित है।

18/09/2025

उपखण्ड अधिकारी,रानी
जिला–पाली

18/9/25